[2022] 6 एस. सी. आर. 1097

ए.

एम. एन. जी. भारतीश रेड्डी बनाम

रामेश रंगनाथन और एक और (2022 की आपराधिक अपील संख्या 1273)

बी.

18 अगस्त, 2022

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:एसएस।120 ए, 405,415,420,499,500-तत्काल मामले में पहले प्रत्यर्थी को बी. जी. एस. अपोलो अस्पताल द्वारा सलाहकार न्यूरोसर्जन के रूप में नियुक्त किया गया था-पहले प्रत्यर्थी और उसकी सगाई की शर्तों वाले अस्पताल के बीच परामर्श समझौता किया गया था-सगाई की शर्तों में से एक यह थी कि कोई भी पक्ष तीस दिनों की पूर्व सूचना देकर या बिना किसी कारण के समझौते को समाप्त कर सकता है-पहले प्रत्यर्थी और अस्पताल के प्रबंधन के बीच मतभेद उत्पन्न हुए-पहले प्रत्यर्थी ने अस्पताल के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखा जिसमें आरोप लगाया गया कि उसे संदर्भित रोगियों को पूछताछ/रिसेप्शन काउंटर पर अस्पताल के अन्य डॉक्टरों की ओर मोड़ दिया जा रहा था-पहले प्रत्यर्थी की सेवाओं को 30 मई 2014 को असंगत और असंगत के लिए समाप्त कर दिया गया था। 120 भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 405,415,420,499 और 500-सत्र न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया कि शिकायत में मानहानि या धोखाधड़ी के अपराधों के तत्वों का खुलासा नहीं किया गया था और मजिस्ट्रेट धाराओं के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम नहीं था।420 भारतीय दण्ड संहिता सी.-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एस. एस. के तहत महाप्रबंधक के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया था।499 और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 500, हालांकि, रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री थी जो प्रथम दृष्टया यू/एस. एस. के तहत अपराधों का खुलासा करती है। 405 और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 420-इसलिए तत्काल

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

अपील-आयोजितःसाबितपसाबित्साबितरसाबितथसाबितमसाबित प्रत्यर्थीसाबित
साबितकसाबितीसाबित साबितशसाबितिसाबितकसाबितासाबितयसाबिततसाबित
साबितअसाबितससाबित्साबितपसाबिततसाबितासाबितलसाबित
साबितमसाबितेसाबितंसाबित साबितउसाबितससाबितकसाबितीसाबित
साबितससाबितेसाबितवसाबितासाबितओसाबितंसाबित साबितकसाबितीसाबित
साबितससाबितमसाबितासाबितपसाबित्साबिततसाबितिसाबित साबितससाबितेसाबित
साबितउसाबिततसाबित्साबितपसाबितनसाबित्साबितनसाबित साबितह्साबितुसाबितईसाबित
साबितऔसाबितरसाबित साबितआसाबितरसाबितोसाबितपसाबितोसाबितंसाबित
साबितससाबितेसाबित साबितससाबितंसाबितकसाबितेसाबिततसाबित
साबितमसाबितिसाबितलसाबिततसाबितासाबित साबितह्साबितैसाबित
साबितकसाबितिसाबित साबितअसाबितससाबित्साबितपसाबिततसाबितासाबितलसाबित
साबितमसाबितेसाबितंसाबित वादी साबित
साबितदसाबित्साबितवसाबितासाबितरसाबितासाबित
साबितपसाबित्साबितरसाबितदसाबितासाबितनसाबित साबितकसाबितीसाबित
साबितगसाबितईसाबित साबितशसाबितलसाबित्साबितयसाबित
साबितचसाबितिसाबितकसाबितिसाबिततसाबित्साबितससाबितासाबित
साबितससाबितेसाबितवसाबितासाबितओसाबितंसाबित साबितकसाबितेसाबित
साबितससाबितंसाबितबसाबितंसाबितधसाबित साबितमसाबितेसाबितंसाबित
साबितअसाबितनसाबितुसाबितचसाबितिसाबिततसाबित
साबितबसाबितिसाबितलसाबितिसाबितंसाबितगसाबित साबितथसाबितीसाबित,साबित
साबितजसाबितोसाबित साबितससाबितबसाबितससाबितेसाबित
साबितअसाबितधसाबितिसाबितकसाबित
साबितमसाबितह्साबितासाबितपसाबित्साबितरसाबितबसाबितंसाबितधसाबितकसाबित
साबितदसाबित्साबितवसाबितासाबितरसाबितासाबित
साबितपसाबितरसाबितासाबितमसाबितरसाबित्साबितशसाबित
साबितससाबितमसाबितझसाबितौसाबिततसाबितेसाबित साबितकसाबितीसाबित
साबितशसाबितरसाबित्साबिततसाबितोसाबितंसाबित साबितकसाबितेसाबित
साबितउसाबितलसाबित्साबितलसाबितंसाबितघसाबितनसाबित साबितकसाबितासाबित
साबितससाबितंसाबितकसाबितेसाबिततसाबित साबितदसाबितेसाबिततसाबितीसाबित
साबितह्साबितैसाबित,साबित साबितजसाबितोसाबित
साबितअसाबितनसाबितिसाबितवसाबितासाबितरसाबित्साबितयसाबित

साबितरसाबितूसाबितपसाबित साबितससाबितेसाबित साबितएसाबितकसाबित
साबितनसाबितासाबितगसाबितरसाबितिसाबितकसाबित
साबितवसाबितिसाबितवसाबितासाबितदसाबित साबितकसाबितीसाबित
साबितपसाबित्साबितरसाबितकसाबितृसाबिततसाबितिसाबित साबितमसाबितेसाबितंसाबित
साबितथसाबितासाबित-साबितऐसाबितससाबितासाबित साबितकसाबितोसाबितईसाबित
साबितआसाबितरसाबितोसाबितपसाबित साबितनसाबितह्साबितीसाबितंसाबित
साबितथसाबितासाबित साबितकसाबितिसाबित वादी साबित साबितकसाबितोसाबित
साबितकसाबितिसाबितससाबितीसाबित साबितभसाबितीसाबित
साबितससाबितंसाबितपसाबिततसाबित्साबिततसाबितिसाबित साबितकसाबितोसाबित
साबितवसाबितिसाबिततसाबितरसाबितिसाबिततसाबित
साबितकसाबितरसाबितनसाबितेसाबित साबितयसाबितासाबित
साबितकसाबितिसाबितससाबितीसाबित साबितभसाबितीसाबित
साबितवसाबित्साबितयसाबितकसाबित्साबिततसाबितिसाबित साबितकसाबितोसाबित
साबितकसाबितिसाबितससाबितीसाबित साबितभसाबितीसाबित
साबितससाबितंसाबितपसाबिततसाबित्साबिततसाबितिसाबित साबितकसाबितोसाबित
साबितबसाबितनसाबितासाबितएसाबित साबितरसाबितखसाबितनसाबितेसाबित
साबितकसाबितेसाबित साबितलसाबितिसाबितएसाबित
साबितससाबितह्साबितमसाबिततसाबितिसाबित साबितदसाबितेसाबितनसाबितेसाबित
साबितकसाबितेसाबित साबितलसाबितिसाबितएसाबित
साबितपसाबित्साबितरसाबितेसाबितरसाबितिसाबिततसाबित
साबितकसाबितिसाबितयसाबितासाबित साबितगसाबितयसाबितासाबित
साबितथसाबितासाबित साबितयसाबितासाबित साबितकसाबितिसाबित
साबितउसाबितससाबितेसाबित साबितऐसाबितससाबितासाबित
साबितकसाबितुसाबितछसाबित साबितकसाबितरसाबितनसाबितेसाबित
साबितकसाबितेसाबित साबितलसाबितिसाबितएसाबित
साबितधसाबितोसाबितखसाबितासाबित साबितदसाबितिसाबितयसाबितासाबित
साबितगसाबितयसाबितासाबित साबितथसाबितासाबित साबितयसाबितासाबित
साबितछसाबितोसाबितडसाबित़साबित साबितदसाबितिसाबितयसाबितासाबित
साबितगसाबितयसाबितासाबित साबितथसाबितासाबित साबितजसाबितोसाबित
साबितउसाबितससाबितनसाबितेसाबित साबितनसाबितह्साबितीसाबितंसाबित
साबितकसाबितिसाबितयसाबितासाबित साबितह्साबितोसाबिततसाबितासाबित
साबितयसाबितासाबित साबितकसाबितरसाबितनसाबितेसाबित साबितकसाबितेसाबित
साबितलसाबितिसाबितएसाबित साबितछसाबितोसाबितडसाबित़साबित
साबितदसाबितिसाबितयसाबितासाबित साबितह्साबितोसाबिततसाबितासाबित
साबितयसाबितदसाबितिसाबित साबितवसाबितह्साबित
साबितइसाबिततसाबितनसाबितासाबित साबितधसाबितोसाबितखसाबितासाबित
साबितनसाबितह्साबितीसाबितंसाबित साबितदसाबितेसाबिततसाबितासाबित-

साबितशसाबितिसाबितकसाबितासाबितयसाबिततसाबित साबितमसाबितेसाबितंसाबित साबितलसाबितगसाबितासाबितएसाबित साबितगसाबितएसाबित साबितआसाबितरसाबितोसाबितपसाबितोसाबितंसाबित साबितपसाबितरसाबित साबितआसाबितपसाबितरसाबितासाबितधसाबितिसाबितकसाबित साबितवसाबितिसाबितशसाबित्साबितवसाबितासाबितससाबितघसाबितासाबिततसाबित साबितकसाबितेसाबित साबितअसाबितपसाबितरसाबितासाबितधसाबित साबितकसाबितेसाबित साबितकसाबितिसाबितससाबितीसाबित साबितभसाबितीसाबित साबिततसाबिततसाबित्साबितवसाबित साबितकसाबितोसाबित साबितपसाबित्साबितरसाबितदसाबितरसाबित्साबितशसाबितिसाबिततसाबित साबितनसाबितहसाबितीसाबितंसाबित साबितकसाबितिसाबितयसाबितासाबित साबितगसाबितयसाबितासाबित साबितथसाबितासाबित साबितकसाबित्साबितयसाबितोसाबितंसाबितकसाबितिसाबित साबितवसाबितेसाबित साबितखसाबितडसाबित़साबितेसाबित साबितहसाबितैसाबितंसाबित साबित-साबित

बी.

सी.

डी.

दंड संहिता, 1860:s.405 और s.415 – आवश्यक सामग्री-चर्चा की गई।

ई.

अपील को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि

पकड़ना:**1.** धारा **415** के तहत अपराध के तत्व एक पाठ्य पठन से उभरते हैं।सबसे पहले**,** धोखाधड़ी करने के लिए**,** एक व्यक्ति को दूसरे को धोखा देना चाहिए।दूसरा**,** ऐसा करके पहले वाले को इस तरह से ठगे गए व्यक्ति को **(i)** किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना चाहिए**;** या **(ii)** सहमति देना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को बनाए रखेगा**;** या **(iii)** जानबूझकर इस तरह से ठगे गए व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए प्रेरित करना चाहिए या ऐसा करने से बचना चाहिए जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा यदि वह ऐसा नहीं करता है और ऐसा कार्य या चूक उस व्यक्ति के शरीर**,** मन**,** प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या नुकसान पहुंचाता है या होने की संभावना है।धारा **420** धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण के लिए प्रेरित करने से संबंधित है।वर्तमान मामले में धारा **415** और **420** के तत्व नहीं बनाए गए हैं।प्रथम प्रत्यर्थी की शिकायत अस्पताल में उसकी सेवाओं की समाप्ति से उत्पन्न होती है।आरोपों से संकेत मिलता है कि शल्य चिकित्सा सेवाओं के संबंध में एक अनुचित बिलिंग थी जो ए

एफ.

जी.

एच.

1099

एम. एन. जी. भारतीश रेड्डी बनाम रमेश रंगनाथन और ए.

वादी द्वारा अस्पताल में प्रस्तुत किया गया था।अधिक से अधिक, आरोप अपीलार्थी द्वारा परामर्श समझौते की शर्तों के उल्लंघन का संकेत देते हैं, जो अनिवार्य रूप से एक नागरिक विवाद की प्रकृति में है।**[**पैरा **14,15** और **18] [1103-**डी-एफ**; 1105-**ई-एफ**]**

2. शिकायत में आरोप अपीलार्थी की ओर से किसी भी धोखे या बेईमान इरादे के अभ्यास के लिए किसी भी संदर्भ के अभाव से स्पष्ट हैं।इसी तरह, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि वादी को किसी भी संपत्ति को देने या सहमति देने के लिए प्रेरित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को अपने पास रखेगा या उसे ऐसा कुछ करने के लिए धोखा दिया गया था जो वह नहीं करता या ऐसा करने के लिए छोड़ दिया जाता अगर वह ऐसा नहीं करता।शिकायत के विशिष्ट पहलू जिस पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि धोखाधड़ी के अपराध के तत्व कथनों में अनुपस्थित हैं।**[**पैरा **19] [1105-**एफ-एच**]3.** भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **405** आपराधिक विश्वासघात से संबंधित है।आपराधिक विश्वासघात के अपराध में दो तत्व होते हैं:**(i)** किसी व्यक्ति को संपत्ति, या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ सौंपना**;** और **(ii)** सौंपा गया व्यक्ति बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसे सौंपने वाले व्यक्ति के नुकसान के लिए अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित करता है।आपराधिक विश्वासघात के अपराध के किसी भी तत्व को शिकायत में लगाए गए आरोपों पर प्रदर्शित नहीं किया गया है।पहले प्रत्यर्थी का आरोप है कि अपीलार्थी ने अत्यधिक अनियमित बिल जारी करके विश्वासघात किया, जिससे उसकी पेशेवर फीस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।हालाँकि, संविदात्मक शर्तों का एक कथित उल्लंघन वास्तव में विश्वास के आपराधिक उल्लंघन का अपराध नहीं है, जब तक कि सौंपने का एक स्पष्ट मामला न हो। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सौंपने का कोई तत्व प्रथम दृष्टया साबित नहीं किया गया है।इसलिए, आपराधिक विश्वासघात के अपराध के तत्व शिकायत के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं बनाए गए हैं।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार करने और यह अभिनिर्धारित करने में कि भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **405,415** और **420** के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान सही ढंग से लिया गया था, उच्च न्यायालय की ओर से एक पेटेंट त्रुटि है। **[**पैरा **20,23,24] [1106-**ए-डी**; 1107-**बी-डी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1100 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 6 एस. सी. आर.

हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य **(2000)**

4 एससीसी 168:[2000] 2 एस. सी. आर. 859; दलीप कौर बनाम जगनार सिंह (2009) 14 एस. सी. सी. 696:[2009] 10 एस. सी. आर. 264; अनवर

चांद सब नानादिकर बनाम कर्नाटक राज्य **(2003) 10** एस**.** सी**.** सी**. 521;** कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य **(2022)**

7 एस**.** सी**.** सी**. 124-**पर निर्भर था।

बी.

मामला कानून संदर्भ

[2000] 2 एससीआर **859**

उस पर भरोसा करें

पैरा **16**

[2009] 10 एससीआर **264**

उस पर भरोसा करें

पैरा **17**

(2003) 10 एस**.** सी**.** सी**. 521**

उस पर भरोसा करें

पैरा **21**

सी.

(2022) 7 एससीसी **124**

उस पर भरोसा करें

पैरा **22**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1273।

2016 की आपराधिक याचिका No.543 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 12.07.2019 के निर्णय और आदेशों से।मनन कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, एच. चंद्र शेखर, सुश्री रेखा चंद्रशेखर, सुश्री अंजुल द्विवेदी, डॉ. राम शंकर, सुश्री सुजाता बागड़ी, ए. लियो गोर्ज रोजोरियो, सुश्री पी. निर्मला, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।सुश्री राधिका गौतम, प्रत्यर्थीगणओं की ओर से अधिवक्ता।

डी.

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.**

1.अनुमति प्रदान की गई।

एफ.

2. यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 12 जुलाई 2019 के एक फैसले से उत्पन्न होती है।

3. पहले प्रत्यर्थी को बी. जी. एस. अपोलो अस्पताल, मैसूर द्वारा नियुक्त किया गया था, दूसरे प्रत्यर्थी 1 को सलाहकार न्यूरोसर्जन के रूप में रु। 50, 000।उन्होंने मार्च 2004 से जून 2014 तक उस क्षमता में काम किया।1 अप्रैल 2013 को पहले प्रत्यर्थी और अस्पताल के बीच एक परामर्श समझौते के रूप में एक अनुबंध किया गया था जिसमें उनकी सगाई की शर्तें थीं।सगाई की शर्तों में से एक यह थी कि कोई भी पक्ष तीस दिनों की पूर्व सूचना देकर, बिना किसी कारण के समझौते को समाप्त कर सकता है।3 जून को

जी.

1 “अस्पताल "

एच.

1101

एम. एन. जी. भारतीश रेड्डी बनाम रमेश रंगनाथन और अन्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]
ए.

ए.

2013, अस्पताल के प्रबंधन ने पहले प्रत्यर्थी को 4,25,000 रुपये के निश्चित मासिक शुल्क का आश्वासन देकर उनके वेतन में वृद्धि की। 4.इसके बाद, पहले प्रत्यर्थी और अस्पताल के प्रबंधन के बीच मतभेद पैदा हो गए।प्रथम प्रत्यर्थी ने 9 जनवरी 2014 को अपीलार्थी को एक पत्र लिखा जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पास भेजे गए रोगियों को पूछताछ और स्वागत काउंटर पर अस्पताल के अन्य डॉक्टरों के पास भेजा जा रहा है।उक्त पत्र के माध्यम से, उन्होंने अपीलार्थी से गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया।परामर्श समझौते के संदर्भ में असंगत और असंतोषजनक व्यवहार के लिए पहले प्रत्यर्थी की सेवाओं को 30 मई 2014 को समाप्त कर दिया गया था।उनकी समाप्ति से व्यथित, पहले प्रत्यर्थी ने 31 मई 2014 को अपोलो ग्रुप ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रबंध निदेशक को रोगियों के बिलिंग में भारी अनियमितताओं पर प्रकाश डालते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।इस अभ्यावेदन में, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अपीलार्थी उन्हें धमकी दे रहा था और बदनाम कर रहा था।2 जून 2014 को, पहले प्रत्यर्थी ने अस्पताल के चिकित्सा सेवा निदेशक को एक पत्र लिखकर 30 जून 2014 तक रोगियों का इलाज करने की अनुमति का अनुरोध किया, जो उनकी नोटिस अवधि की समाप्ति है।5. 10 अक्टूबर 2014 को, पहले प्रत्यर्थी ने प्रथम अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मैसूर 2 के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज की, जो 2014 की पीसीआर संख्या 2536 थी।अपनी शिकायत में, पहले प्रत्यर्थी ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और उसे बदनाम करने के अप्रत्यक्ष और गुप्त उद्देश्य से अपनी सेवाओं को समाप्त कर दिया।जे. एम. एफ. सी. ने 3 मार्च 2015 के एक आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता 3 की धारा 120 ए, 405,415,420,499 और 500 के तहत संज्ञान लिया।जे. एम. एफ. सी. के आदेश को चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मैसूर के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 397 के तहत संशोधन में चुनौती दी गई थी।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

6. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 16 दिसंबर 2015 के एक आदेश द्वारा जे. एम. एफ. सी. के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया कि शिकायत में मानहानि या धोखाधड़ी के अपराधों के तत्वों का खुलासा नहीं किया गया था।इसके अलावा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि जे. एम. एफ. सी. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं था।

जी.

2 “जे. एम. एफ. सी. "3" आई. पी. सी.

एच.

1102

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 6 एस सी आर।

7. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष पहले प्रत्यर्थी द्वारा सवाल उठाया गया था।एकल न्यायाधीश ने 12 जुलाई 2019 के विवादित फैसले में कहा कि अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 499 और 500 के तहत कोई मामला नहीं बनाया गया था। हालांकि, अदालत ने माना कि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 405 और 420 के तहत अपराधों के तत्वों का खुलासा करती है।

बी.

8. इन कार्यवाही में 25 अक्टूबर 2019 को नोटिस जारी किया गया था, जिसके अनुसरण में पहला प्रत्यर्थी पेश हुआ है।

9. हमने अपीलार्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनन कुमार मिश्रा और प्रथम प्रत्यर्थी की अधिवक्ता सुश्री राधिका गौतम को सुना है, जो चुनाव लड़ने वाली पार्टी हैं।

सी.

10. इन कार्यवाहियों में जो मुद्दा खुद को निर्धारण के लिए प्रस्तुत करता है, वह यह है कि क्या धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराधों के तत्व शिकायत के सामने बनाए गए हैं।कानून के सुव्यवस्थित सिद्धांत का पालन करते हुए, शिकायत की सामग्री को पढ़ना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अपराध के तत्व विधिवत साबित किए गए हैं।

डी.

11. 10 अक्टूबर 2014 को पहले प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई शिकायत में 16 जनवरी 2004 के एक प्रस्ताव के अनुसार अस्पताल द्वारा सलाहकार न्यूरोसर्जन के रूप में उनकी नियुक्ति और न्यूरोसर्जरी विभाग की स्थापना करके मार्च 2004 से जून 2014 के बीच काम करने का वर्णन है।

ई.

12. शिकायत के पैराग्राफ 6 में एक पाठ है कि अस्पताल में बिलिंग कर्मचारियों की अक्षमता के परिणामस्वरूप, पहले प्रत्यर्थी के लिए जो शुल्क लिया जाना था, उसे गलत तरीके से बिल किया गया और उसमें भारी कमी की गई।शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने अक्टूबर 2011 में मुख्य संचालन अधिकारी और उसके बाद अपीलार्थी का ध्यान आकर्षित किया, जो हाल ही में अस्पताल के महाप्रबंधक के रूप में शामिल हुए थे।वादी का आरोप है कि उसे अपनी पेशेवर फीस की प्राप्ति पर नुकसान हुआ था और अपीलार्थी द्वारा मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया था कि अस्पताल पूरी तरह से जांच के बाद फीस की प्रतिपूर्ति करेगा। इसके अलावा, शिकायत में गंजे दावे हैं कि वादी को अपीलार्थी ने "अपने गुर्गों के साथ" निशाना बनाया था।शिकायत में 28 अप्रैल 2013 और 4 नवंबर 2013 को अस्पताल द्वारा उठाए गए कुछ बिलों का उल्लेख किया गया है, जिसमें गलत तरीके से सर्जरी शुल्क 1 रुपये और 2 रुपये दिखाया गया था।वादी का कहना है कि उसे ड्यूटी रोस्टर ए से हटा दिया गया था

एफ.

जी.

एच.

1103

एम. एन. जी. भारतीश रेड्डी बनाम रमेश रंगनाथन और अन्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]
ए.

17 मई से 31 मई 2014 के बीच उन्हें अस्पताल की सेवा से हटा दिया गया था।

13. धोखाधड़ी के अपराध के तत्वों को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 415 में वर्णित किया गया है। धारा 415 नीचे दी गई है:

“415. धोखा देना-जो कोई भी किसी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए इस तरह से धोखा दिए गए व्यक्ति को प्रेरित करता है, या इस बात पर सहमति देता है कि कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बनाए रखेगा, या जानबूझकर इस तरह से धोखा दिए गए व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है या ऐसा करने के लिए छोड़ देता है जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा यदि वह धोखा नहीं दिया गया था, और जो कार्य या चूक उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या नुकसान पहुंचाता है या होने की संभावना है, उसे "धोखा" कहा जाता है।

बी.

सी.

स्पष्टीकरण-तथ्यों को बेईमानी से छिपाना इस खंड के अर्थ के भीतर एक धोखा है।"

14. धारा 415 के तहत अपराध के तत्व एक पाठ्य पठन से उभरते हैं।सबसे पहले, धोखाधड़ी करने के लिए, एक व्यक्ति को दूसरे को धोखा देना चाहिए।दूसरा, ऐसा करके पहले वाले को इस तरह से ठगे गए व्यक्ति को (i) किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना चाहिए; या (ii) सहमति देना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को बनाए रखेगा; या (iii) जानबूझकर इस तरह से ठगे गए व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए प्रेरित करना चाहिए या ऐसा करने से बचना चाहिए जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा यदि वह ऐसा नहीं करता है और ऐसा कार्य या चूक उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या नुकसान पहुंचाता है या होने की संभावना है।

डी.

ई.

15. धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण के लिए प्रेरित करने से संबंधित है।वह इस प्रकार हैः

एफ.

"420. धोखाधड़ी और बेईमानी से डिलीवरी को प्रेरित करना

संपत्ति-जो कोई भी धोखा देता है और इस तरह धोखा दिए गए व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति के पूरे या किसी भी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए, या जो कुछ भी हस्ताक्षरित या सील किया गया है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित करने में सक्षम है, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो सात साल तक की अवधि के लिए हो सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"

जी.

16. हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य 4 में, ए

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 415 और 420 की व्याख्या की

4 (2000) 4 एससीसी 168

एच.

यह अभिनिर्धारित करना कि धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा धोखाधड़ी के अपराध का गठन करने के लिए एक पूर्व शर्त है।फैसले का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

"14. खंड को पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि परिभाषा में कृत्यों के दो अलग-अलग वर्ग निर्धारित किए गए हैं जिन्हें धोखा देने वाले व्यक्ति को करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।सबसे पहले तो उसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को देने के लिए धोखाधड़ी या बेईमानी से उकसाया जा सकता है।इस धारा में निर्धारित कार्यों का दूसरा वर्ग कुछ भी ऐसा करना या छोड़ना है जो धोखा देने वाला व्यक्ति नहीं करेगा या करना छोड़ देगा यदि वह इतना धोखा नहीं देता है।प्रथम श्रेणी के मामलों में प्रलोभन धोखाधड़ी या बेईमान होना चाहिए।कृत्यों के दूसरे वर्ग में, प्रलोभन जानबूझकर होना चाहिए लेकिन धोखाधड़ी या बेईमान नहीं होना चाहिए।

बी.

सी.

15. प्रश्न का निर्धारण करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि केवल अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर ठीक है।यह प्रलोभन के समय अभियुक्त के इरादे पर निर्भर करता है जिसे उसके बाद के आचरण से आंका जा सकता है लेकिन इस बाद के आचरण के लिए एकमात्र परीक्षा नहीं है।बस।

डी.

अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमान इरादे को नहीं दिखाया जाता है, यह वह समय है जब अपराध को किया गया कहा जाता है।इसलिए यह इरादा है जो अपराध का सार है।किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी का दोषी ठहराने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि वादा करते समय उसकी धोखाधड़ी या बेईमान मंशा थी।बाद में वादे को पूरा करने में उनकी विफलता से शुरू में ही इस तरह के दोषपूर्ण इरादे से, यानी जब उन्होंने वादा किया था, यह नहीं माना जा सकता है।"

ई.

एफ.

(जोर दिया गया) 17.दलीप कौर बनाम जगनार सिंह 5 मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाला विवाद धारा 415 और 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध नहीं होगा।प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

जी.

"9. दंड संहिता की धारा 420 के तत्व इस प्रकार हैं:

5 (2009) 14 एससीसी 696 ए

एच.

1105

एम. एन. जी. भारतीश रेड्डी बनाम रमेश रंगनाथन और अन्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]
ए.

"((i) किसी भी व्यक्ति को धोखा देना।

((ख) धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को देने के लिए प्रेरित करना; या

(iii) यह सहमति देना कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को अपने पास रखेगा और अंत में जानबूझकर उस व्यक्ति को कुछ भी करने या छोड़ने के लिए प्रेरित करेगा जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा।"

बी.

10. इसलिए, उच्च न्यायालय को यह प्रश्न पूछना चाहिए था कि क्या अपीलार्थी की ओर से प्रलोभन का कोई कार्य दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा उठाया गया है और क्या अपीलार्थी का आरंभ से ही उसे धोखा देने का इरादा था।अगर

सी.

पक्षकारों के बीच विवाद अनिवार्य रूप से एक नागरिक विवाद था जो अग्रिम राशि की वापसी न करके अपीलार्थीगण की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुआ था और यह धोखाधड़ी का अपराध नहीं होगा।दंड संहिता की धारा **405** में निहित इसकी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए आपराधिक विश्वासघात के अपराध के संबंध में भी यही कानूनी स्थिति है।**(**देखें अजय मित्रा बनाम एम**.** पी**.** राज्य **[(2003)**

डी.

3 एससीसी 11:2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 703] "

(जोर दिया गया) 18.उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, धारा 415 और 420 के तत्व वर्तमान मामले में नहीं बनाए गए हैं।प्रथम प्रत्यर्थी की शिकायत अस्पताल में उसकी सेवाओं की समाप्ति से उत्पन्न होती है।आरोपों से संकेत मिलता है कि अस्पताल में वादी द्वारा प्रदान की गई शल्य चिकित्सा सेवाओं के संबंध में अनुचित बिलिंग थी।अधिक से अधिक, आरोप

अपीलार्थी द्वारा परामर्श समझौते की शर्तों के उल्लंघन का संकेत देते हैं, जो अनिवार्य रूप से एक नागरिक विवाद की प्रकृति में है।

ई.

एफ.

19. शिकायत में आरोप अपीलार्थी की ओर से किसी भी धोखे या बेईमान इरादे के अभ्यास के लिए किसी भी संदर्भ के अभाव से स्पष्ट हैं।इसी तरह, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि वादी को किसी भी संपत्ति को देने या सहमति देने के लिए प्रेरित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को अपने पास रखेगा या उसे ऐसा कुछ करने के लिए धोखा दिया गया था जो वह नहीं करता या ऐसा करने के लिए छोड़ दिया जाता अगर वह ऐसा नहीं करता। शिकायत के विशिष्ट पहलू जिस पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि धोखाधड़ी के अपराध के तत्व कथनों में अनुपस्थित हैं।

जी.

एच.

20. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 405 आपराधिक विश्वासघात से संबंधित है और निम्नानुसार हैः

“405. विश्वास का आपराधिक उल्लंघन-जो कोई भी, किसी भी तरह से संपत्ति के साथ सौंपा गया है, या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ, बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या अपने स्वयं के उपयोग के लिए परिवर्तित करता है, या बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग करता है या निपटान करता है कानून की किसी भी दिशा में उस विधि को निर्धारित करता है जिसमें इस तरह के ट्रस्ट का निर्वहन किया जाना है, या किसी भी कानूनी अनुबंध का, जिसे उसने ऐसे ट्रस्ट के निर्वहन को छूते हुए व्यक्त या निहित किया है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए पीड़ित करता है, वह "विश्वास का आपराधिक उल्लंघन" करता है।” आपराधिक विश्वासघात के अपराध में दो तत्व होते हैंः(i) किसी व्यक्ति को संपत्ति, या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ सौंपना; और (ii) सौंपा गया व्यक्ति बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसे सौंपने वाले व्यक्ति के नुकसान के लिए अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित करता है।

बी.

सी.

21. अनवर चंद सब नानादिकर बनाम कर्नाटक राज्य 6 ए

डी.

दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित शब्दों में आपराधिक विश्वासघात के अपराध के आवश्यक तत्वों को दोहरायाः

“7. धारा 405 के तहत आरोपों को घर लाने की बुनियादी आवश्यकताएं संयुक्त रूप से साबित करने की आवश्यकताएं हैं (1) प्रत्यर्पण, और (2) क्या अभियुक्त को बेईमान इरादे से प्रेरित किया गया था या इसका दुरुपयोग नहीं किया गया था या इसे सौंपने वाले व्यक्तियों के नुकसान के लिए इसे अपने उपयोग में परिवर्तित किया गया था।चूँकि इरादे का प्रश्न प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, कुछ व्यापक परीक्षणों की परिकल्पना की गई है जो आम तौर पर यह तय करने में उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे कि क्या किसी विशेष मामले में आरोपी के पास अपराध के लिए पुरुष कारण था।”

ई.

एफ.

22. विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 7 अन्य

दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 405 के तहत अपराध का गठन करने के लिए संपत्ति को सौंपना महत्वपूर्ण है। प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

जी.

“28. ”दंड संहिता, 1860 की धारा 405 के तहत संपत्ति का "समर्पण" इसके तहत एक अपराध होने के लिए महत्वपूर्ण है।उपयोग किए गए शब्द हैं, "किसी भी तरह से संपत्ति को सौंपा गया"।तो, यह

6 (2003) 10 एससीसी 521 7 (2022) 7 एससीसी 124 ए

एच.

1107

एम. एन. जी. भारतीश रेड्डी बनाम रमेश रंगनाथन और अन्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

चाहे वे लिपिकों, सेवकों, व्यावसायिक भागीदारों या अन्य व्यक्तियों को सभी प्रकार के प्रत्यर्पणों के लिए लागू होते हैं, बशर्ते वे "विश्वास" का पद धारण कर रहे हों।एक व्यक्ति जो लगाए गए दायित्व की शर्तों के विपरीत उन्हें सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग

करता है, वह विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है और दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडित किया जाता है।"

बी.

23. आपराधिक विश्वासघात के अपराध के किसी भी तत्व को शिकायत में लगाए गए आरोपों पर प्रदर्शित नहीं किया गया है।पहले प्रत्यर्थी का आरोप है कि अपीलार्थी ने अत्यधिक अनियमित बिल जारी करके विश्वासघात किया, जिससे उसकी पेशेवर फीस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।हालाँकि, संविदात्मक शर्तों का एक कथित उल्लंघन वास्तव में विश्वास के आपराधिक उल्लंघन का अपराध नहीं है, जब तक कि सौंपने का एक स्पष्ट मामला न हो। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सौंपने का कोई तत्व प्रथम दृष्टया साबित नहीं किया गया है।इसलिए, आपराधिक विश्वासघात के अपराध के तत्व शिकायत के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं बनाए गए हैं।

सी.

डी.

24. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार करने और यह अभिनिर्धारित करने में कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 405,415 और 420 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान सही ढंग से लिया गया था, उच्च न्यायालय की ओर से एक पेटेंट त्रुटि है। 25.हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और 12 जुलाई 2019 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को खारिज कर देते हैं।

ई.

26. 2015 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 94 में 15 दिसंबर 2015 को चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का आदेश तदनुसार ऊपर बताए गए कारणों से बहाल हो जाएगा।

एफ.

27. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

एच.